रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941
No. 719] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

(i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;

(ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;

(iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;

(iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987;

(v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्व्ारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;

(vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;

(vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;

(viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016:

परंतु ऐसी सुस्ती,-

(i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

(ii) उक्त नियमों के अधीन अर्जित या उपर्जित या उपगत कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या

(iii) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता, दायित्व, शास्ति, जब्ती या दंड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

को प्रभावित नहीं करेगी, और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या लागू किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा, जैसे कि उक्त नियमों को विखंडित नहीं किया गया था ।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 912(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Promotion Act, 1873(5 of 1873), the Central Government hereby rescinds with immediate effect the following rules, namely:—

(i) The Post Office Savings Account Rules, 1981, published *vide* number G.S.R. 663(E), dated the 17th December, 1981;

(ii) The National Savings Time Deposit Rules, 1981, published *vide* number G.S.R. 664(E), dated the 17th December, 1981;

(iii) The National Savings Recurring Deposit Rules, 1981, published *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 17th December, 1981;

(iv) The National Savings (Monthly Income Account) Rules, 1987, published *vide* number G.S.R. 701(E), dated the 10th August, 1987;

(v) The National Savings Certificate (VIII Issue) Rules, 1989, published *vide* number G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989;

(vi) The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, published *vide* number G.S.R. 490(E), dated the 2nd August, 2004;

(vii) The Kisan Vikas Patra Rules, 2014, published *vide* number G.S.R. 705(E), dated the 23rd September, 2014;

(viii) The Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016, published *vide* number G.S.R. 323(E), dated the 18th March, 2016:

Provided that such rescission shall not affect,-

(i) the previous operation of the said rules or anything done or omitted to be done or suffered therein; or

(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired or accrued or incurred under the said rules; or

(iii) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not been rescinded.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy. (Budget)